2025/243

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 34/2025 (राजसमन्द डिक्री)

श्री हरि सिंह पिता श्री नवल सिंह राजपूत, निवासी देवड़ो का गुड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलार्थी

बनाम

1. भंवर सिंह पिता केसर सिंह राजपूत, निवासी देवड़ो का गुड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
3. पटवारी, पटवार हल्का गोवल, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी
आमेट दिनांक 11.06.2025 प्रकरण
संख्या 71/2014 वाद पत्र

---::---

उपस्थित :– 1– श्री मनीष शर्मा अभिभाषक अपीलार्थी
2– श्री अजय सिंह हाडा अभिभाषक रेस्पो. सं. 1

---::---

निर्णय **दिनांक 26–12–2025**

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की राजस्व ग्राम देवड़ो का गुड़ा में आराजी नम्बर 124, 125, 126, 127 कुल किता 4 रकबा 1.2900 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि वादी को राज्य सरकार द्वारा आंवटित की गई किन्तु वक्त आंवटन वादी के दो नाम भंवरसिंह एवं फतेसिंह होने से बोलता नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:11:17 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

फतेसिंह पिता केसरसिंह नाम दर्ज हो गया, जबकि फतेसिंह पिता केसरसिंह नाम का उक्त गांव में कोई भी व्यक्ति ना तो वर्तमान में, ना ही पुर्व में निवास करता था। वादी का वास्तविक नाम भंवरसिंह है एवं भंवरसिंह नाम से ही समस्त दस्तावेज बने हुये। वादी का नाम वक्त आंवटन गलत अंकित हो जाने से वादी को कई सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है तथा उसे भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अतः वादी का वाद स्वीकार कर विवादित आराजीयात का खातेदार घोषित किया जावे तथा "फतेसिंह" नाम को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर "भंवरसिंह" दर्ज किया।

2. उक्त वाद प्रस्तुत होने पर हरिसिंह पिता नवलसिंह द्वारा आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की वादी द्वारा तथ्यों को छुपाकर वाद पेश किया है। वादी एवं प्रार्थी के मूल पुरुष केसरसिंह होकर उनके 3 पुत्र भंवरसिंह, नवलसिंह, जालमसिंह हुये। नवलसिंह के 4 पुत्र फतेहसिंह, हरिसिंह, गोरधनसिंह एवं शैतानसिंह एवं 3 पुत्रियों मोहरकंवर, नीलाकंवर, दुर्गाकंवर हुये, जिसमें हरिसिंह स्वयं प्रार्थी है एवं भंवरसिंह रिश्ते फतेहसिंह का काका है। अर्थात भंवरसिंह व फतेहसिंह दो अलग–अलग नाम है। फतेहसिंह दिनांक 19.01.1989 को लाऔलाद फोत हो चुका तथा प्रार्थी फतेहसिंह का भाई होने से प्रकरण में उसका हित निहित है। अतः उसे पक्षकार बनाया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी हरिसिंह का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे प्रतिवादी सं. 3 के रूप में संस्थित कर उसका जवाब लिया तथा प्रकरण में 3 तनकीया कायम की तथा दिनांक 11.06.2025 को निर्णय पारित करते हुये वादी का वाद स्वीकार कर विवादित आराजीयात का खातेदार घोषित किया तथा फतेसिंह का नाम विलोपित कर उसके स्थान पर भंवरसिंह दर्ज करने के आदेश दिया, जिससे रुष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे दिनांक 25.06.2025 को प्रस्तुत की गई है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्[illegible] पर रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अजय सिंह [illegible] उपस्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:11:17 IST
Reason: SelfAttested

उदयपुर

एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष बहस सुनी गई।

5. अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुये बताया कि विवाद्यक सं. 1 को साबित करने का भार वादी/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 पर था जिसके द्वारा प्रदर्श 1–5 दस्तावेज व पी डब्ल्यू–1, पी डब्ल्यू–2 साक्ष्य के रूप में उपस्थित हुए उसके विपरित अपीलाण्ट द्वारा एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज ग्राम पंचायत ग्राम विकास अधिकारी मृत्यु पंजीका रजिस्टर 2004 से 2016 की प्रति पेश की जिससे यह स्पष्ट था कि फतेह सिंह नाम का व्यक्ति था जिसका स्वर्गवास हो गया जिसका इन्द्राज उक्त रजिस्टर में मौजूद है परन्तु दुर्भाग्यवश अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दस्तावेज के सम्बन्ध में कोई विवेचन अपने निर्णय में नहीं किया गया। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा जो शपथ–पत्र साक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिस पर अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा जिरह की गई व जिरह में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा स्पष्ट किया गया "शपथ–पत्र में बयान मेरे कहने से नही लिखे है किसके कहने से लिखे गये है मुझे नही पता" यानि यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा जो शपथ–पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया उसके स्वयं द्वारा यह कहा गया कि उसे शपथ–पत्र के तथ्यो की जानकारी नही है व शपथ–पत्र के कथन भी नही उल्लेखित किये गये है जिससे यह स्पष्ट था कि शपथ–पत्र में वर्णित तथ्य की जानकारी नही होने से उक्त बयान माने जाने योग्य नही थे। जिससे रेस्पोडेण्ट द्वारा अपने वाद के तथ्यों को साक्ष्य द्वारा साबित नही किया गया जिससे रेस्पोडेण्ट का वाद साक्ष्य के अभाव में खारिज योग्य था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त महत्त्वपूर्ण तथ्य की अनदेखी कर निर्णय पारित किया गया है जो प्रथम दृष्टया निरस्त योग्य है। इसी प्रकार विवाद्यक संख्या 2 का विवेचन भी दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत किया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का [illegible] व निरस्त फरमायी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:11:17 IST
Reason: SelfAttested

भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील
उदयपुर (राज.)

6. उक्त बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बताया की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का विवेचन करते हुये तनकीवार निर्णय पारित किया गया है जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

7. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2070–73 में विवादित आराजी नम्बर 124, 125, 126, 127 कुल किता 4 रकबा 1.2900 हैक्टेयर भूमि फतेसिंह पिता केसरसिंह राजपूत के नाम दर्ज है तथा इसी जमाबंदी में अन्य आराजियात नवलसिंह, जालमसिंह, भंवरसिंह पिता केसरसिंह के नाम दर्ज है। रेस्पोडेन्ट/वादी भंवरसिंह का कथन है कि भंवरसिंह का ही दूसरा नाम फतेसिंह है। इसी कारण वादी भंवरसिंह द्वारा विवादित आराजियात में फतेसिंह के नाम को विलोपित कर भंवरसिंह करने का निवेदन किया गया है एवं इस संबंध में वोटर आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की है, जो प्रदर्श 2ए से 4ए होकर उक्त दस्तावेजों में भंवरसिंह के पिता का नाम केसरसिंह दर्ज है, जबकि प्रदर्श 5ए पासबुक में फतेसिंह पिता केसरसिंह दर्ज है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते उदयपुर

इस संबंध में अपीलान्ट का कथन है कि फतेसिंह केसरसिंह का पुत्र नहीं होकर नवलसिंह का पुत्र है जिसकी मृत्यु दिनांक 19.01.1989 को हो चूकि है। इस संबंध में उनके द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें फतेसिंह के पिता का नाम केसरसिंह उर्फ नवलसिंह अंकित होकर मृत्यु दिनांक 19.01.1989 अंकित है जिसका रजिस्ट्रेशन संख्या 5 दिनांक 27.02.2013 अंकित है, किन्तु इस संबंध में तहसीलदार आमेट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पत्र क्रमांक/जन्म–मृत्यु/2025/69 दिनांक 21.05.2025 प्रस्तुत किया गया है जो अधीनस्थ न्यायालय के पृष्ठ संख्या 74 पर संलग्न है, जिसमें तहसीलदार ने स्पष्ट अंकित किया है कि मृतक फतेसिंह पुत्र केसरसिंह उर्फ नवलसिंह के नाम का दिनांक 27.02.2013 को कोई प्रमाण पत्र वर्ष 2013–14 के सं[illegible] मृत्यु के रिकॉर्ड अनुसार जारी नहीं हुआ [illegible] अधीनस्थ न्यायालय [illegible] अपने तनकीवार विवेचन में उपरोक्त सम[illegible] तथ्यों [illegible] बयानों के

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:11:17 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

आधार पर भंवरसिंह व फतेसिंह को एक ही व्यक्ति होना मानते हुए रेस्पोडेन्ट/वादी का वाद स्वीकार कर ''फतेसिंह पिता केसरसिंह जाति राजपूत को विलोपित करते हुए इसके स्थान पर भंवरसिंह पिता केसरसिंह राजपूत सा. देह खातेदार'' राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने का आदेश दिया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते है।

8. अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2025 यथावत रखी जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 26.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

26.12.25

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:11:17 IST
Reason: SelfAttested